FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत ...एसडीओ... मुकाम ...सरवाड़...

...गोपाल पुत्र [illegible]... बनाम ...पुत्री छोगा [illegible] [illegible] फतेहगढ़...

किस्म मुकदमा ...212 RTA... न. ...32... सन ...17...

5.5.17	पत्रावली प्राप्त सम्मन इजरार चौधरी [illegible] पेश की रिपोर्ट शामिल देखी गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी हो, मिसल दिनांक 25.5.17 को पेश हो। G7 SDM Sarwar	
28.5.17	[illegible] पत्र कारण से सम्मन तामील नहीं हुआ। अतः [illegible] की वापस लौटाई जावे। मिसल दिनांक 31.7.17 को पेश हो। G7 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़	
31.7.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इंतजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 7.9.17 को पेश हो। G7 SDM Sarwar	
7.9.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इंतजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 3.10.17 को पेश हो। G7 SDM Sarwar	
3.10.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इंतजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 3.11.17 को पेश हो। SDM Sarwar	
6.11.17	पत्रावली पेश हुई, दिनांक 3.11.17 का अवकाश होने से मिसल आज ली गई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी का सम्मन [illegible] से तामील हो चुका है। वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादी हाजिर नहीं अत एक तरफा बहस सुनी गई ग्राम गणेशपुरा की जमाबंदी सं० 2068-71 के खाता सं. नया [illegible] 114-119 [illegible] [illegible] मिश्री छोगा हरिकृष्ण निवासी फतेहगढ़ के खाते में दर्ज थी	

Scanned by CamScanner

विरासत के आधार सं० 425 दिनांक 11.2.14 से मृतक रामप्रसाद के स्थान पर उसके वारिसान शान्ति देवी पत्नि रामप्रसाद, भंवर लाल, गोपाल सुशील, रणजीत, विनोद पिता रामप्रसाद, सुशीला पुत्री रामप्रसाद निर्मला पत्नि सुरेश, ~~सुशबु पुत्री~~ पुत्री सुरेश के नाम दर्ज है तथा उन्ही का कब्जा काश्त है, अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से कोई लेना देना नही है। अत: अप्रार्थी सं० 1 व उनके रिश्तेदारान नौकर चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रा.पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी व उसके परिवार जनो के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने उस पर कब्जा करने भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने इत्यादि से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित होने व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीनों सारभूत बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, अप्रार्थी सं० 1 का विवादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है। अत: मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं० 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी व उसके परिवार जनो के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्णायक नही है, हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
SDO Sarwar